न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :- 51/2025

वादी :-
1. बाबुलाल पुत्र स्व. लालूराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी बेरा बडवा वार्ड नंबर 6 बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. बींजाराम पुत्र डाहराम जाति खारडिया(सीरवी)
2. लादूराम पुत्र डाहराम जाति खारडिया (सीरवी)
3. सुजाराम पुत्र डाहराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासीगण बेरा बडवा वार्ड नंबर 6 बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- वादी - श्री जी एल कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 से 3 - श्री लोकेश सोनी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 4- सरकारी पैरोकार

दिनांक :- 01/1/25

निर्णय

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाड़ा चक 3 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 3, भू.अभि.नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि वादी के पिता लालूराम के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 1145 के खसरा नंबर 4668/3 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त खाता व खसरे की भूमि वादी पिता लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज किया हुआ है। कस्बा बिलाड़ा चक 3 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 3, भू.अभि.नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि वादी के पिता लालूराम के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 1146 के खसरा नंबर 4667/9 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नंबर 4669/1 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 02 का कुल रकबा 0.6715 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त खाता व खसरों की भूमि वादी पिता लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज किया हुआ है। कस्बा बिलाड़ा चक 3 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 3, भू.अभि.नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि वादी के पिता लालूराम के नाम की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 1242 के खसरा नंबर 4673 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4674 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4675 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4676 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4683 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4684 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4688 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

3074 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4689 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4697 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4699 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, कुल खसरा 10 का कुल रकबा 3.3251 हैक्टेयर सभी किस्म चाही द्वितीय कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त खसरो की भूमि में वादी के पिता लालूराम जी का 1/4 हिस्सा है। उक्त खाता व खसरे की भूमि वादी पिता लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम डाहराम दर्ज किया हुआ है। कस्बा बिलाड़ा चक 3 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 3, भू.अभि.नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि वादी के पिता लालूराम के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 1343 के खसरा नंबर 4671/2 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, किस्म गै.मु. बाड़ा भूमि स्थित हैं। उक्त खाता व खसरे की भूमि वादी पिता लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम डाहराम दर्ज किया हुआ है। कस्बा बिलाड़ा चक 3 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 3, भू.अभि.नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि वादी के पिता लालूराम के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 805 के खसरा नंबर 4671/4 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त खसरे की भूमि में वादी के पिता लालूराम जी का 1/10 वां हिस्सा है। उक्त खाता व खसरे की भूमि वादी पिता लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम डायाराम दर्ज किया हुआ है। वादी के पिता लालूराम जी का देहांत दिनांक 02/04/2023 को हो चुका है तथा वादी के दादा दयारामजी का भी देहांत काफी समय पूर्व हो चुका है तथा वादी के दादा दयाराम जी को उस समय गांव में व उनके माता पिता व रिश्तेदारो वगैरा द्वारा डाहराम, डामाराम, डायाराम व दयाराम के नाम से भी पुकारते व जानते थे और वादी के पिता लालूराम जी के सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, लालूराम जी के मृत्यु प्रमाण पत्र में वादी के दादा का नाम दयाराम लिखा हुआ दर्ज है। जब उक्त खातों व खसरों की जमाबंदी में वादी के पिता लालूराम जी के पिता का नाम नाम दर्ज किया गया था उस समय जमाबंदी में वादी के पिता लालूराम जी के पिता का लाड प्यार से बोला जाने वाला नाम भूलवश या त्रुटिवश डाहराम, डामाराम, डायाराम लिखवा दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है, जबकि वादी के पिता लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम उक्त वर्णित सरकारी दस्तावेजो के अनुसार वास्तविक नाम दयाराम है। वादी द्वारा अभी एक माह पूर्व अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में अपने भूमि बाबत् फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु व अन्य सरकारी सहायता संबंधित जानकारी हेतु पटवारी महोदय पास गया तब पटवारी द्वारा वादी के पिता के नाम की जमाबंदी व उसके दस्तावेज देखकर बताया कि जमाबंदी में आपके पिता लालूराम जी के पिता का नाम डाहराम, डामाराम, डायाराम लिखा हुआ है और आपके पिता लालूराम जी के दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, वगैरा में आपके पिता लालूरामजी के पिता का नाम दयाराम लिखा हुआ है और राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में आपके

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

(वादी) पिता लालूराम जी के पिता का नाम डाहराम, डामाराम, डायाराम के स्थान पर दयाराम होने पर ही आपका फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही व अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त होगी तथा पटवारी महोदय द्वारा बताया कि जमाबंदी में नाम शुद्धि कर नाम दर्ज करने के लिए अन्य सह खातेदार की सहमति की आवश्यकता होगी जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं. 01 से 03 के घर जाकर सम्पर्क किया तो प्रतिवादी सं. 01 से 03 ने सहमति देने से मना कर दिया। वादी के पिता के पिता यानि दादा का नाम की उपरोक्त खातों व खसरों की कृषि भूमि में सेव व भूलवश अलग अलग जमाबंदी में दयाराम के स्थान पर लाड प्यार व समाज रिश्तेदारी में बुलाने वाला नाम डाहराम, डामाराम, डायाराम गलत दर्ज हो गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध की गई है, इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड में अपने दादा का नाम डाहराम, डामाराम डायाराम के स्थान पर दयाराम के नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती करवाने हेतु यह दावा पेश करना पड़ रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादी अपने पिता लालूरामजी के देहांत के बाद से अपने हिस्से की भूमि पर व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार व कब्जा काश्त के काबिज चले आ रहे है। वादी ने उपरोक्त वर्णित कस्बा बिलाड़ा चक 3 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 3. भू.अभि. नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1145 खाता संख्या 1146 खाता संख्या 1242. खाता संख्या 1343 व खाता संख्या 805 की भूमि में वादी ने कृषि भूमि के खातेदारी के बाबत् तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपत्ति, एतराज या अपील रिवीजन आदि पेश नहीं की है तथा अन्य संयुक्त खातेदार का कोई हक व हिस्सा प्रभावित नही होता है। वादी के पिता के पिता यानि दादा का नाम नाम राजस्व रेकर्ड मे दयाराम के स्थान पर डाहराम, डामाराम, डायाराम नाम लिख देने से वादी अपने फौत पिता के खातेदारी व संयुक्त खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि में फौतदगी म्यूटेशन व अन्य बैंक आदि से ऋण व कोई सरकारी सहायता सुविधा प्राप्त नही कर सकता है और ना ही अपनी खातेदारी भूमि का बेचान, हस्तान्तरण वगैरा कर सकता है। वाद कारण वादी के पिता स्व. लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम का उपरोक्त खातो व खसरान की विवादित भूमि में कानून की अज्ञानतावश व सेव व भूलवश गलत नाम दर्ज करने पर तथा वादी द्वारा अभी एक माह पूर्व अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में अपने भूमि बाबत् फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु व अन्य सरकारी सहायता संबंधित जानकारी हेतु पटवारी महोदय पास गया तब पटवारी द्वारा वादी के पिता के नाम की जमाबंदी व उसके दस्तावेज देखकर बताया कि जमाबंदी में आपके पिता लालूराम जी के पिता का नाम डाहराम, डामाराम, डायाराम लिखा हुआ है और आपके पिता लालूराम जी के दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, वगैरा में आपके पिता लालूरामजी के पिता का नाप दयाराम लिखा हुआ है और राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में आपके (वादी) पिता लालूराम जी के पिता का नाम डाहराम, डामाराम, डायाराम के स्थान पर

कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दयाराम होने पर ही आपका फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही व अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त होगी तथा पटवारी महोदय द्वारा बताया कि जमाबंदी में नाम शुद्धि कर नाम दर्ज करने के लिए अन्य सह खातेदार की सहमति की आवश्यकता होगी जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं. 01 से 03 के घर जाकर सम्पर्क किया तो प्रतिवादी सं. 01 से 03 ने सहमति देने से मना कर दिया। जो वाद कारण ग्राम बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी के पिता स्व. लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम का सही एवं वास्तविक नाम दयाराम ही है, जिस बाबत वादी अपने स्व.पिता लालूराम जी के सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, वगैरा की फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहा है जिसमें वादी के पिता स्व. लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम का सही एवं वास्तविक नाम दयाराम दर्ज है।

अन्त मे निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित कस्बा बिलाड़ा चक 3 पटवार हल्का बिलाड़ा चक 3. भू.अभि.नि. क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1145 खाता संख्या 1146 खाता संख्या 1242, खाता संख्या 1343 व खाता संख्या 805 की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 01 से 03 के नाम की खातेदारी, संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में वादी के पिता स्व. लालूराम जी के पिता यानि वादी के दादा का नाम डाहराम, डामाराम, डायाराम के स्थान पर दयाराम किया जाकर काश्तकारी घोषित किये जाने हेतु प्रतिवादी सं. 02 को आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर वकील श्री लोकेश सोनी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा वादपत्र के पद सं. 1 से 14 को सही होने स्वीकार किया है।

अतः जवाब वादपत्र मय शपथ पत्र पेशकर वादीगण की ओर से निवेदन है कि वाद पत्र वर्णित कस्बा बिलाडा चक नंबर 3 में स्थित वादग्रस्त भूमि खाता सं. 1145, खाता सं0 1146, खाता सं. 1242 व खाता सं. 1343 व खाता सं. 805 की भूमि वादी एवं हम प्रतिवादीगण के खातेदारी व संयुक्त खातेदारी की है। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी में वादी के पिता यानि हमारे भाई स्व. लालूराम के पिता यानि वादी के दादा यानि हम प्रतिवादीगण के पिता का नाम डाहराम, डामाराम, डायाराम के स्थान पर दयाराम की जाकर काश्तकारी घोषित दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसमें हम प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है।

प्रतिवादी सं. 4 सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक 3 की स्थाई जमाबंदी के अनुसार वाद पद 1 स्वीकार है। वाद पद 2 से

स्वीकार है। वादी के दादा का नाम अलग अलग खसरों में डायाराम/डामाराम/डाहराम आदि दर्ज है जो वादी स्वयं स्वीकार कर रहा है। वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में लालूराम पुत्र दयाराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी में से खसरा सं. 4671/4 में वादी के पिता लालूराम पि. डायाराम का हिस्सा जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा में नाम से रहन है। वादी के पिता लालूराम के दस्तावेज तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में लालुराम पुत्र दयाराम अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में लालूराम पुत्र दयाराम अंकित है।

अतः वादी वर्णित आराज में से जमाबंदी खसरा सं. 4671/4 में वादी के पिता लालूराम पुत्र डायाराम का हिस्सा थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा में रहन दर्ज है। बैंक की अनापति अपेक्षित है। थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा में अनापति में पश्चात वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकर कर आदेश पारित किये जाते है तो जवाब देहन्दा को कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, वादी अधिवक्ता व प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया और वादपत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की किन्तु खसरा नंबर 4671/4 में वादी के पिता लालूराम पुत्र डायाराम का हिस्सा थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा में रहन दर्ज होना बताया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में वादी के पिता का नाम लालूराम पुत्र दयाराम दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश वादी के पिता का नाम लालूराम पुत्र डाहराम/डामाराम/डायाराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 4 को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 4671/4 (थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा का रहन दर्ज होने के कारण) को छोडकर शेष खसरा नंबर 4668/3 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4667/9 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नंबर 4669/1 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4673 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4674 रकबा 0. 3479 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4675 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4676 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4683 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4684 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4688 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4689 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4697 रकबा 0. 2912 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4699 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4671/2 रकबा 0.0809 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दुरूस्ती की जाकर वादी के पिता का नाम

रकारी दस्तावेजात के अनुसार लालूराम पुत्र दयाराम दर्ज किये ाने की घोषणा की जाती है। एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित िया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। त्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/07/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
बाबूलाल		बीजाराम वगैरह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 51/2025

दिनांक :- 07/10/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से श्री लोकेश सोनी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 4 को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 4671/4 (थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा का रहन दर्ज होने के कारण) को छोडकर शेष खसरा नंबर 4668/3 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4667/9 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नंबर 4669/1 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4673 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4674 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4675 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4676 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4683 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4684 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4688 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4689 रकबा 0.3155 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4697 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4699 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4671/2 रकबा 0.0809 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दुरूस्ती की जाकर वादी के पिता का नाम सरकारी दस्तावेजात के अनुसार लालूराम पुत्र दयाराम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा